राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकः– एफ.11(3)(10)मो. / ICDS / 2016–17 / 187871 जयपुर, दिनांकः 30/9/2022

आदेश

विभागीय परिपत्र क्रमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 के बिन्दु संख्या 12 (iv) के प्रावधानानुसार शरदकाल (दिनांक 01 अक्टूम्बर से 31 मार्च) के लिए राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक (4 घण्टे) निर्धारित किया गया है।

अतः उक्त प्रावधान के अनुरूप दिनांक 01 अक्टूम्बर से 31 मार्च तक समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक तक संचालित होंगे।

आंगनबाड़ी सहायिका केन्द्र समय से आधे घण्टे पूर्व एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केन्द्र समय से 15 मिनट पूर्व आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, केन्द्र संचालन समय के बाद 2 घण्टे प्रतिदिन गृह सम्पर्क संबंधी कार्य सम्पादित करेंगी। पर्यवेक्षक प्रतिदिन आंगनबाड़ी केन्द्र खुलने के समय से प्रभावी निरीक्षण/पर्यवेक्षण व केन्द्र समय पश्चात् गृह सम्पर्क का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे।

30-9-2022
(रामावतार मीणा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांकः– एफ.11(3)(10)मो. / ICDS / 2016–17 / 187872-188277 जयपुर, दिनांकः 30/9/2022
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
7. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय, जयपुर।
8. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
9. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, समस्त।
10. एनलिस्ट–कम–प्रोग्रामर को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

30/9/22
संयुक्त निदेशक (मो.)